सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस

अपील संख्याः 44 / 19 **निर्णय दिनांकः– 14–08–2019**

1. हरिराम पुत्र नानूराम जाति सोनी निवासी ग्राम कुदसू हाल निवासी वार्ड नम्बर 7, तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. खुमाराम पुत्र गिरधारीराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम उदासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा नोखा जरिये प्रबन्धक।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोखा
दिनांक 11–02–2017

उपस्थितः–

1. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री सुरेन्द्रपाल शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री नन्दराम कॉसनिया राजकीय, अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 11–02–2017 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यांयालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि वाके रोही ग्राम उदासर तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 304 व 1094 में तादादी 7.04 हेक्टर भूमि स्थित है। जिस पर मौके पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा चारों तरफ तारबन्दी की हुई है। उक्त खेत में नोखा से उदासर जाने वाली पक्की सड़क चल रही है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 ने एकतरफा तौर पर विधि विरूद्व तरीके से आदेश जैर अपील पारित करवाते हुए 480 वर्गमीटर का रास्ता स्वीकृत करवा लिया है। उक्त आदेश रास्ते के प्रचलित कानूनों के विरपरीत पारित किया गया आदेश है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मिथ्या कथनों के आधार पर दिनांक 28—09—2015 को रास्ता लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें दिनांक 21—04—2016 को तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाने व अपीलांट को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी करने की आदेशिका लिखी गई जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 26—05—2016 अंकित की गई थी, परन्तु पत्रावली की आदेशिका में उक्त आगामी तारीख कहीं अंकित नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील भी अपीलांट को नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व दिनांक 11—06—2016 को एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि में से 480 वर्गमीटर का रास्ता स्वीकृत कर दिया गया।

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा 251 ए आरटीए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अन्य सहखातेदारों को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है ना ही अपना हिस्स अलग से तरमीम करवाया गया है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मध्य लम्बे समय से विवाद चल रहा है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्व धारा 447, 427 व 143 भारतीय दण्ड संहिता के तहत फौजदारी प्रकरण दर्ज किया जाकर चालान भी पेश हो चुका है। इसी प्रकार उपखण्ड अधिकारी स्वयं के न्यायालय में दावा एवं प्रार्थना पत्र उनवान हरिराम बनाम गोपीराम आदि आज दिनांक तक विचाराधीन है जिसमें दिनांक 13—07—2015 को ग्राम उदासर के खेत खसरा नम्बर 304 व 1094 तादादी 7.04 हेक्टर के बाबत् मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है। उक्त तमाम तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद होते हुए भी इन तमाम तथ्यों को दरकिनार

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि रेस्पोडेनट संख्या 1 द्वारा बदनियति व स्वार्थपूर्वक अदालत मातहत के समक्ष धारा 251 'ए' आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने की इस्तदुआ की गई। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा धारा 251 'ए' के नियम 69 का अवलोकन व पालना किये बिना ही रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि पर रास्ता कायम करने से पूर्व संबंधित तहसीलदार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। जबकि यह विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि रास्ते के प्रकरणों में तहसीलदार स्वयं अथवा जहॉ आवश्यक हो पीठासीन अधिकारी स्वयं मौके का निरिक्षण करते हुए मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रास्ते से संबंधित नियमों की अवहेलना करते हुए एकतरफा तौर पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार के रिकार्ड का कोई अवलोकन नहीं किया गया है। यदि अदालत मातहत द्वारा तत्समय ऐसा किया जाता तो उनके समक्ष यह स्थिति स्वमेव प्रस्तुत हो जाती की रेस्पोडेन्ट को अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व में अन्य रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में धारा 251 'ए' के तहत वैकल्पिक रास्ता या पक्षकार की सुविधा के लिए रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

चूंकि रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है व वास्तव में इस रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब अपीलांट को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट के मुरब्बे में से रास्ता स्वीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में रास्ता कायम है तो नया रास्ता कायम करने के आदेश 251ए आरटीए के तहत पारित नहीं किये जा सकते। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के पैरा II में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि जब अन्य खातेदार के खेत में से होकर रास्ता

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

चाहा गया है तो अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। वास्तव में मौके पर नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील दुराभि संधि से प्राप्त किया गया आदेश है जो निरस्त किया जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेशों पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 251 ए आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि वाक ग्राम उदासर के खेत खसरा नम्बर 305, 306, 307, 1357/304 तादादी 7.0500 हेक्टर भूमि स्थित है। जिस पर प्रार्थी व उसका पूरा परिवार लम्बे अर्से से काबिज काश्त है तथा मौके पर मकान करनाकर मय पशुधनरहवास कर रही है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने खेत में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थी द्वारा अपीलांट/अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 304 व 1094 में से आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार अपीलांट को सामान्य डाक व तदुपरान्त रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किये गये, परन्तु अपीलांट जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये है व अब इस अपील में इस तथ्य का फायदा उठाना चाहते है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु नियमानुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट व स्टेट के जवाब में स्पष्ट रूप से

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अभिलिखित है कि हरिराम पुत्र नानूंराम जाति सुनार साकिन देह खातेदारी खेत खसरा नम्बर 304 व 1094 तादादी 7.04 हेक्टर के पास पक्की सड़क नोखा से उदासर जाने वाली सड़क स्थित है अतः खेत खसरा नम्बर 304 तादादी 5.98 हेक्टर में से पश्चिम सीमा से रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है तथा प्रार्थी खातेदार के सबसे नजदीक रास्ता खसरा नम्बर 304 में से 80 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौड़ कुल 480 वर्गमीटर रास्ता न्याय हित में दिया जाना उचित है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा प्राप्त रिपोर्ट व उपलब्ध दस्तावेजात्, नजरी नक्शा के अवलोकन के आधार पर खेत खसरा नम्बर 304 रकबा 5.98 हेक्टर में से पश्चिम सीमा से रास्ते की मंजूरी प्रदान की गई है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है। अपीलांट/प्रार्थी अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। अभिभाषक रेस्पेडेन्ट ने अपनी बहस में आगे बताया कि अन्य कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute nessecity & convinient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील दिनांक 11–02–2017 को पारित किया गया था जिसके विरूद्व अपील दिनांक 12–03–2019 को पेश की गई है जोकि करीब दो वर्ष उपरान्त पेश की गई है। अपीलांट द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत नहीं किये गये है। जबकि अपीलांट स्वयं यह कथन कर रहे है कि पक्षकारों के मध्य काफी लम्बे समय से विवाद चल रहा है। ऐसी स्थिति में यह स्वीकार योग्य कथन नहीं है कि अपीलांट को आदेश जैर अपील की जानकारी नहीं हो। अतः अपीलांट की अपील मियांद बिन्दु के साथ–साथ गुणावगुण पर खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के खेत्त खसरा नम्बर 304 में से 80 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौड़ कुल 480 वर्गमीटर रास्ता चक रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिनांक 11–02–2017 को प्रदान किये गये है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व परीक्षण न्यायालय द्वारा अप्रार्थी/अपीलांट को प्रथम बार दिनांक 07–12–2015 को नोटिस जारी करने का हवाला आर्डरशीट में है, परन्तु नोटिस की तामीली या अदम तामील की रिपोर्ट फाईल में नहीं है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पुनः नोटिस रजिस्टर्ड डाक से जारी होने का उल्लेख है तथा डाक की प्रति फाईल में शामिल है। नोटिस व्यक्तिशः तामील होने का सबूत पत्रावली में नहीं है, परन्तु इसी आराजी में खातेदार/रेस्पोडन्ट के कब्जे काश्त में दखल न करने के लिये पाबन्द करने हेतु अन्य दरखवाश्त उपखण्ड अधिकारी, नोखा के न्यायालय मं लम्बित रही है। उक्त मामलें में अपीलांट/प्रार्थी की हैसियत से न्यायालय के समक्ष हाजिर रहा है तथा अपने खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का दखन न करने के लिये रेस्पोडेन्ट खुमाराम वगैरह को एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द करवाया गया है। उक्त दरखवाश्त आज भी पैण्डिग है। इससे स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य इसी आराजी में से रास्ता कायम करने से लेकर एक ही समय में अलग–अलग मामलें लम्बित रहे है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य मान्य नहीं है कि अपीलांट को धारा 251 ए के तहत जारी आदेश की जानकारी न हो। निर्णय की जानकारी के बाद भी निर्णय जारी होने के दो वर्ष बाद अपील पेश की गई है। विलम्ब के मामलों में दिन–प्रतिदिन का संतोषजनक कारण बताया जाना आवश्यक है। अपीलांट द्वारा बताये गये कारण संतोषजनक नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील मियांद बाहर होने के कारण खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा का आदेश दिनांक 11–02–2017 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिंखाया जाकर आज दिनांक 14–08–2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर